कार्यालय नगर पालिका परिषद मोदीनगर (गाजियाबाद)।

अतिअल्पकालीन निविदा सूचनाः

पत्रांकः 581 /न0पा0/रा0वि0आ0/पा0निधि/निर्माण/2019 दिनांकः 31 अगस्त, 2019

नगर पालिका परिषद मोदीनगर द्वारा रा0वि0आ0/पा0निधि से प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत निम्नांकित निर्माण कार्यो को पूर्ण कराने हेतु पालिका के पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 12.09.2019 को सीलबन्द निविदायें अपराहन 02 बजे तक आमंन्त्रित की जाती है। उक्त निविदायें दिनांक 11.09.2019 को अपराहन 05 बजे तक निविदा शुल्क जमा कर पालिका कार्यालय से क्रय की जा सकती है। निविदायें दिनांक 12.09.2019 को अपराहन 2.00 बजे तक पालिका कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जायेगी तथा उसी दिन सक्षम अधिकारी द्वारा अपराहन 04 बजें उपस्थित टैण्डरदाताओं के समक्ष खोली जायेगीं। उक्त दिनांको मे अवकाश होने की स्थिति में अगले दिनांक को निविदा डाली एवं खोली जायेगी। निविदाओ के सम्बन्ध मे प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी 2007 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-609/नौ-9-2007-249ज/06 के अनुसार नियम व शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित कार्यो की जानकारी नगर पालिका परिषद मोदीनगर की वेबसाईट http://www.nppmodinagar.com पर उपलब्ध है। कार्यो का विवरण निम्न हैः-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रू0	धरोहर धनराशि	निविदा का मूल्य	कार्य अवधि
1-	वार्ड नं0 15 मौ0 सीकरी चकरोड पम्प के पास पुलिया का निर्माण कार्य।	191600.00	3900.00	200.00	15 दिन

निविदा की शर्ते निम्नवत हैः-

1- कार्य का भुगतान कार्य पूर्ण होने की प्राथमिकता गुणवत्ता एवं धन की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपरोक्त निर्माण कार्यो के सम्बन्ध मे आवश्यक शर्तो निर्देशो एवं शासनादेशों का अनुपालन करना अनिवार्य है। जिसके सम्बन्ध में अधिक जानकारी निर्माण विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

3- 2% धरोहर धनराशि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मोदीनगर के नाम बंधक एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में मान्य होगी एवं प्रत्येक निविदादाता को निविदा डालते समय निविदा के साथ संलग्न करनी अनिवार्य है तथा शेष 8% जमानत धनराशि भुगतान से पूर्व देना अनिवार्य होगा। है। 05 प्रतिशत धरोहर धनराशि को कार्य समाप्ति के 06 माह बाद अवमुक्त किया जायेगा तथा शेष 05 प्रतिशत धरोहर धनराशि को अन्तिम बिल की तिथि से पांच वर्ष के संतोषजनक निष्पादन के पश्चात अवमुक्त की जायेगी, बशर्ते की इस अवधि में कराये गये कार्य में कोई खराबी उत्पन्न न हो।

4- विभाग द्वारा किसी प्रकार की निर्माण सामग्री अथवा मशीनरी निर्गत नही की जायेगी।

5- समस्त प्रकार के देयको करो आदि का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

6- सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।

7- किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी मे निहित होगा।

8- निविदादाताओ को निविदा के साथ अंकन 100/- का नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य है। जिसका प्रारूप कार्यालय में उपलब्ध है।

9- निविदायें प्रतिशत के आधार पर डाली जायेंगी।

10- विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर पालिका कार्यालय सें प्राप्त की जा सकती है।

(नीलम)
अवर अभियन्ता

(शिव सजं)
अधिशासी अधिकारी

(अशोक माहेश्वरी)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. उपजिलाधिकारी, मोदीनगर।
3. संपादक दैनिक समाचार पत्र शाह टाईम्स, मोदीनगर एवं दैनिक जागरण मोदीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त निविदा सूचना को अपने आगामी अंक पत्र में शासकीय दरों पर कम से कम स्थान मे प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं प्रकाशित समाचार पत्र की 02 प्रतियों सहित देयक बिल भुगतान हेतु पालिका को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. श्री अंकित गोयल, कम्पयूटर प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अतिअल्पकालीन निविदा सूचना पालिका की वेवसाईट www.nppmodinagar.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. नगर पालिका परिषद, मोदीनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

(शिव सजं)
अधिशासी अधिकारी

Scanned by CamScanner